

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 93

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	9501.78	78.19	9579.97	13478.60	61.04	13539.64	10400.17	40.00	10440.17	14152.84	11.58	14164.42
वसूलियां	-1018.60	...	-1018.60	-539.44	...	-539.44	-413.77	...	-413.77	-553.42	...	-553.42
प्राप्तियां
निवल	8483.18	78.19	8561.37	12939.16	61.04	13000.20	9986.40	40.00	10026.40	13599.42	11.58	13611.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	66.32	5.58	71.90	61.89	5.11	67.00	71.29	4.96	76.25	65.25	4.96	70.21
राष्ट्रीय आयोग												
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	24.29	0.49	24.78	35.50	2.50	38.00	68.99	1.80	70.79	38.50	2.50	41.00
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	7.01	...	7.01	18.50	2.50	21.00	17.71	2.50	20.21	19.00	3.00	22.00
4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	5.20	...	5.20	12.04	0.71	12.75	12.29	0.51	12.80	13.29	0.71	14.00
जोड़-राष्ट्रीय आयोग	36.50	0.49	36.99	66.04	5.71	71.75	98.99	4.81	103.80	70.79	6.21	77.00
5. विमुक्त, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड	0.95	...	0.95	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
6. राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर उन नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने से संबंधित मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आयोग जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से है परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है	0.34	0.12	0.46	1.86	0.19	2.05	2.15	0.19	2.34	4.14	0.36	4.50
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	104.11	6.19	110.30	134.79	11.01	145.80	176.43	9.96	186.39	145.18	11.53	156.71
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
7. अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा यूवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति												
7.01 एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति	183.14	...	183.14	188.00	...	188.00	212.00	...	212.00	212.00	...	212.00
7.02 एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग	7.76	...	7.76	35.00	...	35.00	18.00	...	18.00	20.00	...	20.00
7.03 एससी के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	83.84	...	83.84	110.00	...	110.00	103.00	...	103.00	110.00	...	110.00
7.04 एससी के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	88.58	...	88.58	95.00	...	95.00	95.00	...	95.00	130.00	...	130.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति	363.32	...	363.32	428.00	...	428.00	428.00	...	428.00	472.00	...	472.00
8. अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालय में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा योजना	81.59	...	81.59	133.07	...	133.07	110.00	...	110.00	140.00	...	140.00
9. वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (वीआईएसवीएसएस) योजना	10.02	...	10.02	23.44	...	23.44	50.27	...	50.27
10. प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना	58.34	...	58.34	130.00	...	130.00	80.00	...	80.00	130.00	...	130.00
11. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वेंचर पूंजी निधि	...	32.00	32.00	...	50.00	50.00	...	30.01	30.01	...	0.02	0.02
12. अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति												
12.01 ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	89.64	...	89.64	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	190.13	...	190.13
12.02 ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन पर ब्याज सस्मिडी	56.22	...	56.22	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	60.00	...	60.00
जोड़- अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति	145.86	...	145.86	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	250.13	...	250.13
13. डीएनटी/एनटी/एसएनटी की आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम (सीड)	15.00	...	15.00	39.40	...	39.40	39.40	...	39.40	39.40	...	39.40
14. वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता (स्माइल)												
14.01 भीख मांगने के कार्य से जुड़े व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास	5.26	...	5.26	30.00	...	30.00	15.00	...	15.00	30.00	...	30.00
14.02 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास	6.59	...	6.59	68.46	...	68.46	45.00	...	45.00	76.87	...	76.87
जोड़- वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता (स्माइल)	11.85	...	11.85	98.46	...	98.46	60.00	...	60.00	106.87	...	106.87
15. सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा	22.33	...	22.33	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	6.11	...	6.11
16. यांत्रिक स्वच्छता परि-प्रणाली के लिए राष्ट्रीय कार्य (एनएएमएसटीई)	30.06	...	30.06	116.94	...	116.94	50.00	...	50.00	130.00	...	130.00
17. अटल बयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)-सीएस												
17.01 वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी निधि को सहायता (एससीडब्ल्यूएफ)	279.44	...	279.44	268.77	...	268.77	289.69	...	289.69
17.02 वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से पूरी की गई राशि	-279.44	...	-279.44	-268.77	...	-268.77	-289.69	...	-289.69
निवल
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	728.35	32.00	760.35	1045.89	50.00	1095.89	880.84	30.01	910.85	1324.78	0.02	1324.80
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
18. बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ	17.50	...	17.50	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00
19. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	14.09	...	14.09	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	31.59	...	31.59	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	57.00	...	57.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
20. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	...	15.00	15.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	...	10.00	10.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
22. राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम	...	15.00	15.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	40.00	40.00	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
अन्य												
23. अन्य विविध व्यय	8.39	...	8.39	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	39.98	40.00	79.98	58.50	0.03	58.53	58.50	0.03	58.53	65.50	0.03	65.53
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
अनुसूचित जाति के विकास के लिए समावेशी योजना												
24. अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक परीक्षा के उपरांत छात्रवृत्ति	5476.22	...	5476.22	6359.98	...	6359.98	5500.00	...	5500.00	6360.00	...	6360.00
25. अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिक परीक्षा से पूर्व छात्रवृत्ति	446.64	...	446.64	500.00	...	500.00	450.00	...	450.00	577.96	...	577.96
26. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	471.12	...	471.12	2140.00	...	2140.00	800.00	...	800.00	2140.00	...	2140.00
27. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र का सुदृढीकरण	535.19	...	535.19	550.00	...	550.00	500.00	...	500.00	463.00	...	463.00
जोड़-अनुसूचित जाति के विकास के लिए समावेशी योजना	6929.17	...	6929.17	9549.98	...	9549.98	7250.00	...	7250.00	9540.96	...	9540.96
अन्य कमजोर समूहों के विकास हेतु समावेशी कार्यक्रम												
28. अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट भारत प्रधानमंत्री यंग एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम												
28.01 अन्य पिछड़े वर्ग, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	988.45	...	988.45	921.00	...	921.00	921.00	...	921.00	1250.00	...	1250.00
28.02 ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक - पूर्व छात्रवृत्ति	195.66	...	195.66	210.00	...	210.00	210.00	...	210.00	300.00	...	300.00
28.03 ओबीसी के लिए बाल और बालिका छात्रावास	14.41	...	14.41	40.00	...	40.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00
28.04 उच्च स्तरीय कॉलेज	111.40	...	111.40	515.00	...	515.00	159.63	...	159.63	500.00	...	500.00
28.05 उच्च स्तरीय स्कूल	6.73	...	6.73	150.00	...	150.00	60.00	...	60.00	100.00	...	100.00
जोड़- अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट भारत प्रधानमंत्री यंग एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम	1316.65	...	1316.65	1836.00	...	1836.00	1380.63	...	1380.63	2190.00	...	2190.00
29. अटल बयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)												
29.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	141.42	...	141.42
29.02 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से सहायता	69.06	...	69.06	260.00	...	260.00	145.00	...	145.00	263.73	...	263.73
29.03 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से राशि को पूरा करना	-69.06	...	-69.06	-260.00	...	-260.00	-145.00	...	-145.00	-263.73	...	-263.73
	<i>निवल</i>	...	<i>141.42</i>
30. ड्रग की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	173.04	...	173.04	314.00	...	314.00	240.00	...	240.00	333.00	...	333.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(एनएपीडीडीआर)												
जोड़-अन्य कमजोर समूहों के विकास हेतु समावेशी कार्यक्रम	1631.11	...	1631.11	2150.00	...	2150.00	1620.63	...	1620.63	2523.00	...	2523.00
31. वास्तविक वसूलियां	-949.54	...	-949.54
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	7610.74	...	7610.74	11699.98	...	11699.98	8870.63	...	8870.63	12063.96	...	12063.96
कुल जोड़	8483.18	78.19	8561.37	12939.16	61.04	13000.20	9986.40	40.00	10026.40	13599.42	11.58	13611.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रि परिषद	0.02	...	0.02	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
जोड़-सामान्य सेवाएं	0.02	...	0.02	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
सामाजिक सेवाएं												
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	840.31	...	840.31	1900.94	...	1900.94	1321.37	...	1321.37	2013.62	...	2013.62
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	274.50	...	274.50	377.06	...	377.06	301.60	...	301.60	393.38	...	393.38
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	66.26	...	66.26	61.85	...	61.85	71.25	...	71.25	65.21	...	65.21
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	72.00	72.00	...	50.03	50.03	...	30.04	30.04	...	0.05	0.05
6. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	6.19	6.19	...	11.01	11.01	...	9.96	9.96	...	11.53	11.53
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1181.07	78.19	1259.26	2339.85	61.04	2400.89	1694.22	40.00	1734.22	2472.21	11.58	2483.79
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	456.59	...	456.59	200.00	...	200.00	498.11	...	498.11
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	7297.19	...	7297.19	10081.68	...	10081.68	8035.14	...	8035.14	10561.06	...	10561.06
9. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	4.90	...	4.90	61.00	...	61.00	57.00	...	57.00	68.00	...	68.00
10. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय
जोड़-अन्य	7302.09	...	7302.09	10599.27	...	10599.27	8292.14	...	8292.14	11127.17	...	11127.17
कुल जोड़	8483.18	78.19	8561.37	12939.16	61.04	13000.20	9986.40	40.00	10026.40	13599.42	11.58	13611.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त पोषण और	15.00	717.34	732.34	0.01	845.00	845.01	0.01	927.47	927.48	0.01	968.23	968.24

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
विकास निगम												
2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त पोषण और विकास निगम	10.00	191.97	201.97	0.01	259.11	259.12	0.01	14.50	14.51	0.01	15.25	15.26
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त पोषण और विकास निगम	15.00	510.09	525.09	0.01	531.58	531.59	0.01	481.37	481.38	0.01	552.84	552.85
जोड़	40.00	1419.40	1459.40	0.03	1635.69	1635.72	0.03	1423.34	1423.37	0.03	1536.32	1536.35

(₹ करोड़)

- सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय हेतु किया गया है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के स्थापना व्यय हेतु किया गया है।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हेतु किया गया है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग हेतु किया गया है।
- विमुक्त, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड:** यह प्रावधान विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों हेतु विकास और कल्याण बोर्ड के लिए किया गया है।
- राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर उन नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने से संबंधित मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आयोग जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से है परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है:** नए व्यक्तियों, जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा करते हैं लेकिन समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत धर्म के अलावा अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत आयोग।
- अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा यूवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति:** यह चार उप-योजनाओं सहित व्यापक स्कीम है, नामतः:
 - एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के उन छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करती है जो भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेज में विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में एम.फिल और/या पीएचडी करने के लिए उच्चतर अध्ययन करना चाहते हैं। इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी यूजीसी है।
 - एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग:** यह योजना आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करती है ताकि वे उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिये सक्षम बन सकें।
- एससी के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा:** यह योजना उत्कृष्टता हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए शीर्ष श्रेणी के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हासिल करने वाले मेधावी छात्रों को ट्यूशन फीस, जीविका व्यय, किताबें और कंप्यूटर के लिए बड़ी मात्रा में छात्रवृत्ति प्रदान करके अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करती है।
- एससी के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जातियों, गैर-अधिसूचित घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी के कम आय वाले छात्रों को विदेश में मास्टर डिग्री या पीएच.डी. जैसे उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके।
- अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालय में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा योजना:** श्रेष्ठा का उद्देश्य विकास में सरकारी पहलों तक पहुंच को बढ़ाना और अनुसूचित जाति के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में सेवा की कमी को पूरा करना, शिक्षा के क्षेत्र में सहायता अनुदान प्राप्त संस्थानों (एनजीओ द्वारा संचालित) के प्रयासों के माध्यम से तथा आवासीय उच्च विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना और सामाजिक आर्थिक उत्थान और अनुसूचित जातियों (एस सी) के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है।
- वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (बीआईएसवीएस) योजना:** इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य सृष्ट वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के पात्र गरीब सदस्यों और विभाग के दोनों निगमों (एनबीसीएफडीसी और एनएसएफडीसी) के व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को कम दर पर ब्याज का लाभ प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रदान करना है ताकि इस प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप रोजगार मिल सके या वे स्वरोजगार उद्यम शुरू कर सकें। इसके अलावा, बाजार में बेहतर प्रौद्योगिकियों के आने से वे कारीगर जो पहले के मुकाबले अकुशल हो गए हैं, को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे अपेक्षाकृत नई प्रक्रियाओं को अपना सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वेंचर पूंजी निधि:** यह योजना एससी और ओबीसी उद्यमियों को नए भारत के व्यापार और उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने में प्रोत्साहित करने और उन्हें देश के संसाधन जुटाने में सहायता करने के लिए सामाजिक क्षेत्र की पहल है।

12. **अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एबीवर स्कीम छात्रवृत्ति:** इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सन्मिडी प्राप्त करने में अध्येतावृत्ति (वित्तीय सहायता) प्रदान करके अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों का शैक्षिक सशक्तिकरण करना है।

12.01. **ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में एम.फिल/पीएचडी करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति मुहैया करना है।

12.02. **ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन पर ब्याज सन्मिडी:** इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को ब्याज सन्मिडी देना है ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार प्राप्त करने के लिए बेहतर अवसर मिल सके। अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र विदेश अध्ययन के लिए संस्वीकृत शिक्षा ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज पर सन्मिडी के रूप में केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके लाभान्वित हुए हैं।

13. **डीएनटी/एनटी/एसएनटी की आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम (सीड):** इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं i. डीएनटी अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना; ii. डीएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना iii. डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदाय संस्थाओं के छोटे समूहों के निर्माण और सुदृढीकरण के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना; iv. डीएनटी समुदायों के सदस्यों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

14. **बंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता (स्माइल):** स्माइल केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक व्यापक उपाय शामिल किए गए हैं जो भीख मांगने के कार्य से जुड़े हुए हैं तथा उनके पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संयोजनों आदि पर काफी ध्यान दिया गया है। स्माइल में निम्नलिखित दो उप-योजनाएँ हैं:

14.01. **भीख मांगने के कार्य से जुड़े व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास:** देश को भिक्षावृत्ति मुक्त भारत(भीख-मुक्त) बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े पैमाने पर आम-जन जैसे विभिन्न हितधारकों के समन्वय कार्य के माध्यम से भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्स्थापन के लिए कार्यनीति बनाना।

14.02. **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास:** इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कल्याण स्कीम और कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है।

15. **सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा:** सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ योजना का नाम बदलकर सूचना-निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए) कर दिया गया है: - इस योजना में निम्नलिखित घटक हैं: i) सूचना प्रसार ii) परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा फील्ड स्तरीय विवादों की निगरानी। iii) आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की निगरानी करना जिसका डिजाइन और रखरखाव प्रौद्योगिकी सेवा समूह (टीएसजी) द्वारा किया जाएगा। iv) केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (सीएसएसयू) की स्थापना v) विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा 5 वर्षों में एक बार योजनाओं का मूल्यांकन और अध्ययन। vi) हितधारकों पर विशेष ध्यान देने के साथ समुदाय के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की गहराई से जांच करके योजनाओं के परिणामों की सामाजिक लेखा-परीक्षा करना।

16. **यांत्रिक स्वच्छता परि-प्रणाली के लिए राष्ट्रीय कार्य (एनएमएसटीई):** यंत्रिक सफाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र लाने के लिए नए सिरे से प्रयास करना।

17. **अटल बयो अभ्युदय योजना (एबीवाईवाई)-सीएस:** यह योजना निम्न घटकों को कार्यान्वित करती है: (i) राष्ट्रीय बयोश्री योजना (आरबीवाई), (ii) राष्ट्रीय हेल्पलाइन, जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (iii) वरिष्ठ देखभाल एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) (iv) वृद्धावस्था देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण (v) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल

18. **बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ:** डॉ अंबेडकर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ भारत और विदेशों में जनता के बीच डॉ अंबेडकर की विचारधारा और संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है। फाउंडेशन को डॉ बी आर अंबेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान पहचान की गई महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन, प्रशासन और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

19. **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान:** राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन है, जो सामाजिक रक्षा के क्षेत्र से संबंधित पहल के लिए नोडल प्रशिक्षण संस्थान है। यह संस्थान मुख्य रूप से राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसियों (जो पहले क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) के रूप में जाना जाता था), स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, एनएसएस, एनवाईके, एसआईआरडी, पीआरआई, पुलिस अकादमियां और अन्य संस्थानों/संगठनों के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के कार्यों में कार्यरत है।

20. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम को पूंजी प्रदान करने के लिए किया गया है।

21. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को पूंजी प्रदान करने के लिए किया गया है।

22. **राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को पूंजी प्रदान करने के लिए किया गया है।

23. **अन्य विविध व्यय:** इसका उद्देश्य उन बच्चों, जिन्होंने दोनों माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या दोनों जीवित माता-पिता को कोविड-19 महामारी में खो दिया है, को बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करना है।

24. **अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक परीक्षा के उपरांत छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों के लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैट्रिक उपरांत या माध्यमिक स्तर के पश्चात वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि करना है, ताकि वे शिक्षा पूरी कर सकें।

25. **अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिक परीक्षा से पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अन्य बंचित श्रेणियों से संबंधित बच्चों के माता-पिता को वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करना है जिससे उनकी शिक्षा के लिए मैट्रिक-पूर्व चरण में पढ़ने वाले बच्चों की भागीदारी में सुधार हो सके, इसकी उनकी ड्रॉप-आउट घटनाओं - विशेष रूप से प्राथमिक से अगले स्तर और प्रारंभिक स्तर

तक परिवर्तन में द्वितीयक चरण - को न्यूनतम किया जा सके, वे बेहतर प्रदर्शन कर सके और शिक्षा में मैट्रिक के उपरांत चरण की ओर प्रगति करने में उनकी संभावना बेहतर हो सके।

26. **प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय):** पीएमएजेएवाई की योजना, अनुसूचित जाति उप योजना (एससीए से एससीएसपी), प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) के लिए मंत्रालय की विशेष केंद्रीय सहायता की 3 मौजूदा योजनाओं का विलय करती है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजन करके अनुसूचित जाति समुदायों और अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त अवसररचना और आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करके गरीबी को कम करना है।

27. **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र का सुदृढीकरण:** पीसीआर अधिनियम, 1995 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए इस केंद्र प्रायोजित योजना के निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं: i) अंतर्जातीय विवाह जहां पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति का सदस्य है ii) अत्याचार पीड़ितों/उनके आश्रितों के लिए राहत और उनका पुनर्वास, iii) अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना, iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सुरक्षा प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्टेशनों को सुदृढ करना v) जागरूकता सृजित करना और प्रचार करना।

28. **अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट भारत प्रधानमंत्री यंग एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम:** ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए पांच केंद्र प्रायोजित योजनाएं, अर्थात् ओबीसी के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, ओबीसी के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति, ईबीसी के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति, डीएनटी के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति और ओबीसी के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास की पांच उप-योजनाओं का ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया (पीएम यशस्वी) हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के साथ विलय कर दिया गया है।

28.01. **अन्य पिछड़े वर्ग, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को मैट्रिक/माध्यमिक चरण के बाद की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना है।

28.02. **ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक - पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

28.03. **ओबीसी के लिए बाल और बालिका छात्रावास:** इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

28.04. **उच्च स्तरीय कॉलेज:** इस योजना का उद्देश्य पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करके ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्यता और इसे बढ़ावा देना है। यह योजना बारहवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों को लाभान्वित करेगी।

28.05. **उच्च स्तरीय स्कूल:** इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी करने तक उनकी शिक्षा का वित्तपोषण करके प्रीमियम शिक्षा प्रदान करना है।

29. **अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई):** इस योजना के दो घटक हैं: (i) वरिष्ठ नागरिक गृहों, क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों, डिमेंशिया/अल्जाइमर रोग से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए निरंतर देखभाल गृहों की सहायता के लिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)। ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसपीएसआरसी) में पांच वर्षों के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति शामिल है। केन्द्रीय मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी राज्यिक कार्य योजनाओं के सृजन और कार्यान्वयन के लिए निधि जारी करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के लिए अपने स्वयं की निधि का उपयोग करें।

30. **ड्रग की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर):** एनएपीडीडीआर केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक स्टैंडअलोन केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है: i) निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, पहचान, परामर्श, उपचार और नशीली दवाओं पर निर्भरशील व्यक्तियों के पुनर्वास, केंद्र और राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके देश में ड्रग की मांग में कमी करना ii) व्यक्ति, परिवार, कार्यस्थल और समाज में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजन करना और लोगों को शिक्षित करना और दवाओं पर निर्भरशील समूहों और व्यक्तियों को समाज में पुनः वापस लाने के लिए उन्हें समाज से जोड़ना।